छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880 सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : 0771-2445611 फैक्स नंबर : 2426396

खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में

(HDPE MONO FILAMENT TWINE SQUARE CAP COVER NETS)

साईज 36'x 25' WITH 9''x 9'' MININUM NUMBER 48 ON LENGTH SIDE AND 33 ON WIDTH SIZE क्रय हेतु निविदा दस्तावेज

निविदा फार्म का मूल्य
1000/- रूपये (वाणिज्य कर सहित)

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)

कैप कव्हर को बांधने हेतु कैप कव्हर नेट **साईज** 36'x 25' WITH 9''x 9'' MININUM NUMBER 48 ON LENGTH SIDE AND 33 ON WIDTH SIZE

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13

फार्म नंबर.....

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री/सुश्री..... .....
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम	श्री.....
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर	....
4.	जिला का नाम	.....
5.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 1000.00/– (वाणिज्यिक कर सहित) (अक्षरी एक हजार रूपये मात्र)
6.	निविदा फार्म क्रय की जानकारी	मनी रसीद नं./डी. डी. नंबर ..... दिनांक ..... बैंक का नाम .....
7.	निविदा जमा करने का दिनांक एवं समय	दिनांक / /2013 को दोपहर .....बजे तक
8.	निविदा को खोले जाने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक / /2013 को अपरान्ह.....बजे स्थान – छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्, 880, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

टिप्पणी

1. **यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।**
2. **यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है। प्रथम प्रति निविदाकार टेंडर बॉक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु रखा जावेगा।**
3. **प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ क्रमांक 1 से 9 तक है।**
4. **निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in पर उपलब्ध है जिससे जानकारी ली जा सकती है।**

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में छ.ग. शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा समर्थन मूल्य में कृषको से धान खरीदी का कार्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में उपार्जित धान का भण्डारण जिले के निर्धारित संग्रहण केन्द्रों में किया गया है। संग्रहण केन्द्रों में धान के सुरक्षित भण्डारण हेतु स्टेकों में लगे कैप कव्हर को बांधने हेतु कैप कव्हर नेट की आवश्यकता है। खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के भण्डारण हेतु कैप कव्हर नेट के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इस निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ठ संलग्न है:–

(I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं है।

(II) परिशिष्ट '2' निविदा फार्म (भाग–क) तकनीकी लिफाफा हेतु।

(III) परिशिष्ट '3' दर प्रस्तुत करने हेतु निविदा फार्म (भाग–ख) वित्तीय लिफाफा हेतु।

(IV) परिशिष्ट '4' निविदा कार द्वारा किये जाने वाले इकरारनामा का प्रारूप।

निविदाकार से अनुरोध है, कि इन दस्तावेजो को भली–भांति पढने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें कैप कव्हर नेट साईज 36'x 25' WITH 9''x 9'' MININUM NUMBER 48 ON LENGTH SIDE AND 33 ON WIDTH SIZE की आपूर्ति हेतु निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट 3 मे साफ–साफ अकों एवं शब्दों में अंकित कर वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करें।

2. निविदाकार सें यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म निर्धारित स्थान एवं तारीख को निर्धारित समय तक स्वीकार किये जायेगे। प्राप्त निविदाये उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकार के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

3. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनाये, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्ते, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस कैप कव्हर नेट क्रय निविदा प्रपत्र संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा।

4. निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को कास आँफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।

5. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट–1 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नही होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

6. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न निविदा फार्म भाग 'क' में अपना परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण सुस्पष्ट (फोटो सहित) भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक विवरण अपेक्षित जानकारी के साथ पूर्ण भरा जावें।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरे) प्रस्तुत करे।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
रायपुर

निविदा निर्देश एवं मार्ग दर्शक सूचनाएं

निविदाकार जिनके द्वारा छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ को कैप कव्हर नेट की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, वे निम्नानुसार नियमों एवं शर्तो को भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश एवं शर्ते निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेगे।

1. निविदाकार को (HDPE MONO FILAMENT TWINE SQUARE CAP COVER NET) साईज 36'x 25' WITH 9''x 9'' MININUM NUMBER 48 ON LENGTH SIDE AND 33 ON WIDTH SIZE आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदा छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के कार्यालय 880 सिविल लाईन्स रायपुर में दिनांक.....को दोपहर 02:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।
3. विपणन संघ द्वारा निविदाकार को जारी निविदा फार्म में ही सीलबंद लिफाफों में निविदा प्रस्तुत करनी होगी। जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (भाग ''क'') एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (भाग ''ख'') अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में सील बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदा फार्म विपणन संघ की वेबसाईट **WWW.cgmarkfed.in** में देखी जा सकती है, किन्तु वेबसाईट से डाउनलोड निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. तकनीकी लिफाफा में निविदा दस्तावेज सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जाएगा, अतः तकनीकी लिफाफा में निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें :–
   (I) कैप कव्हर नेट हेतु अमानत राशि प्रति नग 50 रूपये (पचास रूपये मात्र) की दर से किसी भी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, के नाम पर देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।
   (II) राज्य एवं केन्द्र के वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
   (III) कैप कव्हर नेट निर्माता होने का वैध प्रमाण पत्र।
   (IV) आयकर एवं विक्रय कर का क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट।
   (V) 3 नग कैप कव्हर नेट का नमूना।
   (VI) निर्माता फर्म की बैलेन्स सीट एवं शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में विगत पाँच वर्षो में किन्हीं दो वर्षो का न्यूनतम 2500000/– (पच्चीस लाख रूपये) तक का कैप कव्हर नेट आपूर्ति का अनुभव प्रमाण–पत्र।
6. निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., रायपुर (छ.ग.) में निर्धारित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।

7. कैप कव्हर नेट का मापदण्ड निम्नानुसार है :–

HDPE MONOFILAMENT TWINE SQUARE MESH NETS of minimum size 36' x 25' with 9'' x 9'' minimum number 48 on length side and 33 on width size subject a minimum tolerance of 0.25 inch square mesh made from virgin high density polythene monofilament extrusion grade and not reprocessed. Each net shall be provide with 14 tie ropes (5 each in length side-2 each on breadth side) The twine used for fabrication of nets should confirm to ISI specification Weight of each mesh nets should be 3.400 Kg. with a relaxation of 10% weight on either side.

SPECIFICATIONS :

I) **Material :**

The raw material for making twines and ropes shall be virgin high density polythene monofilament extrusion grade and not reprocessed.

II) **Colour :**

Black in colour achieved by adding 0.1% carbon black.

III) **MESH :**

A) shall be square and not thombus.

B) Border meshes shall have 2 to 3 solgave ends.

IV) **Knots :**

The nets of the square shall not slip subject to minimum tolerance limit of 0.25 inch.

V) **Nets:**

A) shall be knitted by minimum 2 mm diameter twins as per specifications having continuous, length and not joints.

B) shall not endive in after stretching.

VI) **Border :**

The nets shall be bordered by continuous length of minimum 6 mm diameter ropes.

VII) **Lacing :** The border shall be laced with minimum 2 mm diameter twins to.

8. आपूर्ति की गई कैप कव्हर नेट की राशि का 80 प्रतिशत भुगतान संबंधित संग्रहण केन्द्र से मूल पावती प्राप्त होने पर की जावेगी। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान जिला स्तरीय समिति के गुणवत्ता परीक्षण के प्रतिवेदन पश्चात् नियमानुसार किया जा सकेगा। संग्रहण केन्द्र से प्राप्त पावती सुवाच्य स्पष्ट हस्ताक्षर एवं सील लगी हुई मान्य होगी।

9. न्यूनतम प्राप्त दर के निविदाकार (एल–1) से कमेटी द्वारा युक्तसंगत दर हेतु निगोशियेशन भी किया जा सकता है। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।

10. निविदा के साथ जिलेवार धान संग्रहण केंद्रवार कैप कव्हर नेट की आवश्यकता की सूची संलग्न है। (उक्त केन्द्रों तक पहुँचाकर नेट आपूर्ति की जावेगी।)
11. सफल निविदाकार को 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में विपणन संघ से संलग्न प्रारूप में इकरारनामा निष्पादित करना होगा।
12. सफल निविदाकार को आपूर्ति आदेश जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर व्यादेशित मात्रा में कैप कव्हर नेट की आपूर्ति संग्रहण केन्द्र पर करनी होगी। स्वीकृत निविदाकर्ता को आदेशित कैप कव्हर नेट संबंधित जिला विपणन अधिकारी से लिखित/मौखिक मांग प्राप्त होने पर तत्काल गन्तव्य स्थल तक पहुंचाकर देना होगा। निर्धारित समयावधि के भीतर आपूर्ति नहीं करने पर 2 प्रति नग प्रति दिन का दण्ड वसूल किया जावेगा। विभिन्न परिस्थितियों में प्रबंध संचालक विपणन संघ द्वारा कैप कव्हर नेट आपूर्ति हेतु समयवृद्धि की जा सकेगी।
13. स्वीकृत निविदाकार द्वारा समय पर मांग अनुरूप आपूर्ति न करने की स्थिति में आवश्यक कैप कव्हर नेट स्थानीय बाजार भाव से खरीदी की जावेगी एवं अंतर की राशि निविदाकार के देयक/अमानत राशि/धरोहर राशि से कटौती कर ली जावेगी। आपूर्ति आदेश अनुमानित मात्रा से कम या ज्यादा भी हो सकता है। निविदाकार द्वारा कैप कव्हर नेट मांग अनुसार प्रदाय न करने तथा गुणवत्ता विहिन आपूर्ति करने पर उन्हें 2 वर्ष एंव प्रबंध संचालक विपणन संघ के निर्णय अनुसार काली सूची में डाला जा सकता है।
14. सफल निविदाकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणन संघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान सफल निविदाकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। यह राशि 1010/– रूपये होगी।
15. निविदाकर्ता को कैप कव्हर नेट प्रदाय करने में समस्त प्रकार के लगने वाले टैक्स स्वयं वहन करना होगा।
16. सभी निविदाकारों को तकनीकी बिड के साथ 3 नग कैप कव्हर नेट का नमूना जमा करना होगा।
17. निविदा की स्वीकृत दर आगामी एक वर्ष अर्थात् 1 मई 2013 से 30 अप्रैल 2014 तक मान्य होगी।
18. सफल निविदाकार द्वारा आपूर्ति किये गये कैप कव्हर नेट के निर्धारित मापदण्ड का गुणवत्ता परीक्षण रेन्डम आधार पर चयनित सेम्पल का किसी शासकीय एजेन्सी से कराया जावेगा, उक्त टेस्ट का चार्ज संबंधित प्रदायक को वहन करना पड़ेगा।
19. सफल निविदाकार को निविदा के साथ प्रस्तुत अमानत राशि के समतुल्य सुरक्षा निधि जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में 3 दिवस में अनुबंध निष्पादन करना होगा। सुरक्षा निधि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
20. असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि अथवा डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित समिति के द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।
21. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को बंधनकारी होगा।
22. निविदा के संबंध में अन्य कोई विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रायपुर (छ.ग.) में होगा।

भाग – "क"
(तकनीकी लिफाफा हेतु)

फार्म नंबर..... दिनांक.....

कैप कव्हर को बांधने हेतु कैप कव्हर नेट (HDPE MONO FILAMENT TWINE SQUARE CAP COVER NETE) साईज 36'x 25' WITH 9''x 9'' MININUM NUMBER 48 ON LENGTH SIDE AND 33 ON WIDTH SIZE **हेतु निविदा फार्म**

निविदाकर्ता के वर्तमान का फोटो स्वाप्रमाणित

1.	निविदाकार का नाम व पूरा पता (पत्र व्यवहार हेतु)			
2.	निविदाकार के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता			
3.	निविदाकार/फर्म का दूरभाष कमांक/मोबाईल नं.			
4.	वाणिज्य कर/विक्रय कर के वैध पंजीयन कमांक एवं वैधता दिनांक (जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें)	1. केन्द्रीय		
		2. राज्य		
5.	आयकर एवं विक्रय कर का क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट			नमूने के 3 नग पृथक से जमा करें
6.	आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत तीन वर्षो के आयकर विवरण			
7.	नॉयलोन नेट (जाली) का निर्माता होने का वैध प्रमाण पत्र			
8.	कैप कव्हर नेट का स्पेशिफिकेशन			
9.	अर्नेस्ट मनी (अमानत राशि) का विवरण – 50/– प्रतिनग की दर से	1. ड्राफ्ट कमांक		
		2. दिनांक		
		3. बैंक का नाम		
		4. राशि रूपये		
10.	निविदा फार्म क्रय का विवरण	मनी रसीद नं./डी.डी. कमांक..... दिनांक..... बैंक का नाम.....		
		राशि 1000/– रूपये (वाणिज्य कर सहित)		
11.	अन्य विवरण यदि कोई हो			

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम.....

फर्म.....

भाग – ''ख''
(वित्तीय लिफाफा हेतु)

फार्म नंबर..... **दिनांक.....**

कैप कव्हर को बांधने हेतु कैप कव्हर नेट (HDPE MONO FILAMENT TWINE SQUARE CAP COVER NETE) साईज 36'x 25' WITH 9''x 9'' MININUM NUMBER 48 ON LENGTH SIDE AND 33 ON WIDTH SIZE **दर प्रस्तुत करने हेतु**

प्रेषक,

..... (निविदाकर्ता का नाम)
..... (पूर्ण पता)
.....
.....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
रायपुर

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय रायपुर द्वारा कैप कव्हर नेट हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्, 880, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.) में निर्धारित राशि जमा कर फार्म क्रय किया है, हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निविदा निर्देशों/संविदा शर्तों, नियमों तथा दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।
2. इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

कैप कव्हर नेट की दर

क्र.	दर प्रति नग (समस्त कर सहित) अंको में	दर प्रति नग (समस्त कर सहित) शब्दों में	अमानत राशि का विवरण		
			मात्रा	राशि	बैंक ड्राफ्ट का विवरण

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक .....को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है, की ओर से महाप्रबंधक (विप0) (पक्षकार कमांक1) तथा मेसर्स..... कि ओर से श्री/श्रीमती ..... (पक्षकार कमांक 2) जो उसके मालिक / भागीदार /संचालक/अधिकृत उत्तराधिकारी है के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि पक्षकार कमांक 1 द्वारा कैप कव्हर नेट हेतु निविदा सूचना कमांक ..... .दिनांक ..... के मापदण्ड के अनुसार है। जिसका मूल्य रू. ..... प्रतिनग है के कय हेतु प्रस्तावित किया गया है।

चूंकि पक्षकार कमांक 2 द्वारा निविदा में प्रस्तुत किये गये मूल्य रू. ..... प्रतिनग को पक्षकार कमांक 1 द्वारा स्वीकृत किया गया।

अतः यह इकरारनामा निम्नानुसार शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है –

1. कैप कव्हर नेट निर्धारित स्पेशिफिकेशन का गुणवत्तापरख स्वीकार की जायेगी।
2. निर्धारित मापदण्ड की ही कैप कव्हर नेट स्वीकार की जायेगी, गुणवत्ता विहीन पाये जाने पर कैप कव्हर नेट स्वीकार नहीं किये जायेगे, जिसे प्रदायक को स्वयं के व्यय पर बदलना होगा।
3. कैप कव्हर नेट साईज 36'x 25' WITH 9''x 9'' MININUM NUMBER 48 ON LENGTH SIDE AND 33 ON WIDTH SIZE
4. दरें गन्तव्य संग्रहण केन्द्र तक पहुंचाकर समस्त कर सहित है। आपूर्ति की गई कैप कव्हर नेट की राशि का 80 प्रतिशत भुगतान संबंधित संग्रहण केन्द्र में मूल पावती प्राप्त होने पर की जावेगी। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान जिला स्तरीय समिति के गुणवत्ता परीक्षण के प्रतिवेदन पश्चात् नियमानुसार किया जा सकेगा। संग्रहण केन्द्र से प्राप्त पावती सुवाच्य स्पष्ट हस्ताक्षर एवं सील लगी हुई मान्य होगी।
5. पक्ष कमांक–2 द्वारा आपूर्ति किये गये कैप कव्हर नेट के गुणवत्ता का निरीक्षण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जावेगा।
6. पक्ष कमांक–2 को प्रदाय आदेश जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर व्यादेशित मात्रा अनुसार कैप कव्हर नेट की आपूर्ति संग्रहण केन्द्र पर करनी होगी। स्वीकृत निविदाकर्ता को आदेशित कैप कव्हर नेट से संबंधित जिला विपणन अधिकारी से लिखित/मौखिक मांग प्राप्त होने पर तत्काल गन्तव्य स्थल तक पहुंचाकर देना होगा।
7. पक्ष कमांक–2 द्वारा समय पर मांग अनुरूप आपूर्ति न करने की स्थिति में आवश्यक कैप कव्हर नेट स्थानीय बाजार भाव से खरीदी की जावेगी एवं अंतर की राशि निविदाकार के देयक/अमानत राशि/धरोहर राशि से कटौती कर ली जावेगी। आपूर्ति आदेश अनुमानित मात्रा से कम या ज्यादा भी हो सकता है। पक्ष कमांक–2 द्वारा कैप कव्हर नेट मांग अनुसार प्रदाय न करने तथा गुणवत्ता विहीन आपूर्ति करने पर उन्हें 2 वर्षों हेतु विपणन संघ में कार्य हेतु काली सूची में डाला जा सकता है।

8. पक्ष क्रमांक–2 के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणन संघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान पक्ष क्रमांक–2 द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। यह राशि 1010/– रूपये होगी।

9. नवीन संग्रहण केन्द्र की स्थापना होने पर सफल निविदाकार को स्वीकृत दर अनुसार उक्त केन्द्र हेतु भी आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है, उक्त स्थिति में अनुबंध की कंडिका की समस्त शर्ते यथावत् लागू होगी।

10. पक्ष क्रमांक–2 से अनुबंधित दर समस्त कर सहित है, अन्य कोई भी कर किसी भी स्थिति में देय नहीं होगा।

11. निविदा की स्वीकृत दर आगामी एक वर्ष अर्थात् 1 मई 2013 से 30 अप्रैल 2014 तक मान्य होगी।

12. पक्ष क्रमांक–2 को विपणन संघ के आदेश पर आपूर्ति किये गये कैप कव्हर नेट के भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

यदि निविदा सूचना, निविदा निबंधनों के किसी भी नियमों शर्तो का किसी भी नियमों एवं शर्तो को प्रदायक द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि निविदा स्वीकृति आदेश को निरस्त करे तथा नया निविदा आमंत्रित कर या आवश्यक खुले बाजार से वर्तमान दर पर क्रय करे तथा इस वजह से विपणन संघ को हानि होती है तो उसकी वसूली संबंधित प्रदायक से करें एवं दो वर्ष के लिए काली सूची में डालें।

उपरोक्त इकरारनामा दोनो पक्षों द्वारा ऊपर दर्शाया गया दिनांक..... को में दोनों पक्षों के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ताक्षर
प्रदायक का नाम एवं पता
(कार्यालय सील)

हस्ताक्षर
महाप्रबंधक (विपणन)

साक्षीः–

हस्ताक्षर

नाम व पता .....

साक्षीः–

हस्ताक्षर

नाम व पता .....